न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 71/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. तेजसिंह पुत्र रतनजीतसिंह राजपूत निवासी– धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 2. लादूसिंह वल्द रणजीतसिंह राजपूत निवासी– धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 3. छेलसिंह वल्द रणजीतसिंह राजपूत निवासी– धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर, पाली। 2. हीराराम वल्द केसाराम मेघवाल निवासी– धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 04.06.2015 जो अति0 जिला कलेक्टर,पाली के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2013 अनवान तेजसिंह वगै. बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री सुतीक्षण राजपुरोहित अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 6 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली की सरहद में अपीलान्टस की बापी खातेदारी ख0सं0 131 रकबा 2.4600 चाही जाव दोयम ख0सं0 138 रकबा 0.8600 जाव दोयम मय चाही, ख0सं0 159 रकबा 1.00 जाव चाही दोयम, ख0सं0 162 रकबा 0.0160 गैर मुमकीन बेरा, ख0सं0 163 रकबा 0.1100 हैक्टर गैर मुमकीन बेरा, ख0सं0 164 रकबा 0.1000 चाही जाव दो, ख0सं0 165 रकबा 6.0400 जाव चाही दो, ख0सं0 167 रकबा 0.5700 वा दो तथा ख0सं0 166/314 रकबा 0.6600 वसड कुल रकबा 11.8100 भूमि आई हुई है। उपरोक्त खातेदारी खसरान भूमि के बीच में नाडी के पास में ख0सं0 131/352 रकबा 0.32 चाही जाव दोयम की भूमि का टुकडा आया हुआ है जिस पर अपीलान्ट का पिछले सम्वत 2009 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट का कब्जा रहते उस पर इरण्डी की फसल की बुआई अपीलान्ट के द्वारा की गई है तथा उसके मुताबिक कब्जा अपीलान्टस का पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। हाल ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में दिनांक 8.2.2013 को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के द्वारा उक्त अपीलान्ट के कब्जा काश्त की भूमि ख0सं0 131/352 रकबा 0.32 चाही जाव दोयम का आवंटन रेस्पो0 हीराराम को विधि विरूद्ध तरीके से मौका के सारे हालात एवं तथ्यों के व विधी के सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुए आवंटन कर दिया गया तत्पश्चात दिनांक 4.6.2015 को अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली द्वारा राजस्व लोक अदालत के तहत सुमेरपुर कैम्प में बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाते हुए रेस्पो0 संख्या 2 हीराराम के बिना उपस्थित हुए व बिना उसके नोटिस तामील के उसकी उपस्थिति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बताते हुए दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में किसी प्रकार की कोई समझाइश के बाले बाले एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा अपीलान्टस का आवेदन खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.6.2015 को पारित होने के पश्चात प्रार्थीगण के सगे मामा अचानक बीमार हो जाने के कारण प्रार्थीगण को दिनांक 15.6.15 को मद्रास चले जाना तथा दिनांक 2.7.15 को उनका देहान्त हो जाने पर एवं मामा के पुत्र का देहान्त पूर्व में हो जाने पर रीति रिवाज निभाने हेतु दिनांक 10.8.15 तक मद्रास रहना पडा। मद्रास से वापस आने परदिनांक 13.8.15 को अधिवक्ता से फेसले बाबत जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 21.8.15 को प्रमाणित नकल प्राप्त करते हुए अपील पेश की गई थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.13 व आदेश दिनांक 4.6.15 पारित करने में विधि की भारी भूल की है तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया की अवहेलना की है जो निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में अपीलान्ट के आवेदन अन्तर्गत धारा 14 (4) राज0 भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), अधिनियम 1976 में वर्णित सारे वाक्यात को अनदेखा करते हुए मनमाने ढंग से बिना अपीलान्ट व रेस्पो0 की उपस्थिति में बालेबाले में बिना पक्षकारों की मौजूदगी में उनकी मौजूदगी बताते हुए, लोक अदालत के बिना नोटिस जारी किये एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है, इसके अतिरिक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया तथा अपीलाधीन आदेश में वर्णित वाक्यात हालात को अनदेखा किया गया और विवादित भूमि पर न तो रेस्पो0 संख्या 2 का कब्जा है तथा न कभी कब्जा रहा और न ही आवंटन के तहत कभी उसे कब्जा दिलाया गया व न ही कब्जा दिलाने की प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसी स्थिति में 03 साल की अवधि का नियम हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है। चूंकि उक्त विवादित आराजी भूमि कब्जा काश्त अपीलान्टस का पिछले 60 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली की सरहद में अपीलान्टस की बापी खातेदारी ख0सं0 131 रकबा 2.4600 चाही जाव दोयम ख0सं0 138 रकबा 0.8600 जाव दोयम मय चाही, ख0सं0 159 रकबा 1.00 जाव चाही दोयम, ख0सं0 162 रकबा 0.0160 गैर मुमकीन बेरा, ख0सं0 163 रकबा 0.1100 हैक्टर गैर मुमकीन बेरा, ख0सं0 164 रकबा 0.1000 चाही जाव दो, ख0सं0 165 रकबा 6.0400 जाव चाही दो, ख0सं0 167 रकबा 0.5700 वा दो तथा ख0सं0 166/314 रकबा 0.6600 वसड कुल रकबा 11.8100 भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलान्टस के उक्त खसरान भूमि के बीचो बीच रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटित भूमि ख0सं0 131/352 आई हुई है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा पुश्तैनी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तौर पर उनके पिता रणजीतसिंह के जीवनकाल से सम्वत 2009 से लगातार शांतीपूर्वक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है तथा उक्त विवादित भूमि ख0सं0 131/352 पर अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त अपीलान्टस का पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। इन सब हालात में विवाद्रित भूमि का आवंटन बिना अपीलान्टस व उसके अधिवक्ता को सुने बाले बाले अपीलाधीन आदेश पारित कर विधि के सिद्धान्तों की भारी भूल की है। जो निरस्त करने योग्य हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि ख0सं0 131/352 खातेदारी भूमि के बीच में होने से किसी प्रकार उक्त कृषि भूमि पर पहुंचने की स्थिति ही नहीं है। चूंकि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के तमाम खसरान भूमि के बीच होने से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य झगडा फसाद हर संभव होने की स्थिति रहेगी जिससे दोनों के मध्य विवाद हर समय व्याप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मौके की जॉच नहीं गई तथा बिना मौका रिपोर्ट भी बिना मौके पर गये व बिना नजरी नक्शा बनाए बाले–बाले मनमाने ढंग से अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखकर तथा आवंटन/नियमन सलाहकार समिति के समक्ष गलत अधूरे तथ्य मिलावटी व मनमाने तौर पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किये गये तथा तहसीलदार द्वारा मिलावट से प्रभाव में आकर आवंटन की अनुशंषा की गई और तहसीलदार सुमेरपुर की उक्त गलत अस्पष्ट मिलावटी रिपोर्ट पर रूटिन तौर पर अप्रार्थी संख्या एक को विवादित भूमि का आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रारूप 3 जो कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 में प्रस्तावित किया गया है, उस प्रारूप में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस तरह का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा विवादित भूमि को आगे किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अतः उक्त आवंटन आदेश काबिल निरस्त के है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि विधि की मंशा रही है कि सर्वप्रथम अधिकार उस व्यक्ति का होने की स्थिति है कि कोई जमीन, जायदाद, मकान खातेदारी हक अधिकार के निकटतम उसके सानिध्य में उसके बीच में होने की स्थिति में सर्वप्रथम उसी व्यक्ति को आवंटन/हस्तान्तरण किया जायेगा। ऐसे में ख0सं0 131/352 की भूमि अपीलान्टस को आवंटित होनी चाहिये थी। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत आसामियों के साथ लगी हुई विवादित भूमि के छोटे टुकडो या खण्डो का आवंटन किये जाने की विधी में स्थिति है। जिस परिप्रेक्ष्य में सारे वाक्यात हालात मौका स्थिति व राजस्व नक्शें की पृष्ठीभूमि में अपीलान्ट के उक्त खसरान भूमि के मध्य एडजोईण्डर होने से उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलान्टस को उक्त भूमि टुकडा आवंटन होने की स्थिति रहती है। इसके अलावा नियम 20 के तहत भी उक्त विवादित भूमि का आवंटन हो पा सकने की विधिक स्थिति है जिसके लिये अपीलान्टस उचित राशि नियमानुसार जमा करवाने को तत्पर है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति ज्ञात किये बिना, अपीलान्ट को सुनवाई व नोटिस जारी किये बिना ही आवंटन आदेश पारित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कर दिया जो काबिल निरस्त के है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 8.02.2013 को अपास्त किया जाकर उक्त विवादित खसरान भूमि बाबत अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई धारा 19 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत आसामियों के साथ लगी हुई अनाधिकृत भूमि के छोटे टुकडों या खण्डों का आवंटन किये जाने के अधिनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करावे। अपीलान्ट अधिववता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ आरआरडी 1982 पेज 237, आरआरडी 1982 पेज 441 इत्यादि प्रस्तुत किये।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित है एवं यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि ग्राम धनापुरा के ख0सं0 131/352 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही सोयम का भू आवंटन मेरे पक्ष में तारीख 8.2.13 को राजस्व/विविध आदेश 465/2013 उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के द्वारा किया गया है, उस भूमि का कब्जा आज दिन तक भूमिधारी तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा न तो मुझे सुपुर्द किया गया, न ही मैंने आज दिन तक इस जमीन को लेने के लिये कोई कार्यवाही की है। उक्त भूमि अपीलान्ट तेजसिंह, लादूसिंह, छेलसिंह की खातेदारी की ख0सं0 131, 138, 162, 163, 164, 124 और ख0सं0 166/314 की भूमि खातेदारी की व कब्जाशुदा भूमि आई हुई है जिसके बीचों बीच मेरे पक्ष में ख0सं0 131/352 रकबा 0.32 हैक्टर का भू आवंटन किया गया है जबकि जिस जमीन के चारों और अपीलान्टस की खातेदारी व कब्जे की भूमि आई हुई है।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 131/352 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, न ही आवंटन से लगाकर आज दिन तक करीबन 09 वर्षो में मैने अपने पक्ष में किये गये आवंटन की भूमि में काश्त नहीं की गई है, न ही कब्जा हासिल किया गया है। सुविधा के हिसाब से इस आवेदन के साथ जो संलग्न नक्शा है, उसमें नीले रंग से इस भूमि को दर्शाया है और बीच में हरे कलर से नाडी प्रकट की हुई है और लाल रंग से जो भूमि नक्शें में दर्शाई गई है वो अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि बाबत मैंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, प्रभाव में आये बिना, होश हवास व तन्दुरूस्ती हालत में अपना आवंटन निरस्त कराने के लिये सहमति प्रकट की है। इसलिये इस भूमि को मेरी जगह राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी जाये तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवेदन मैंने अपने अधिवक्ता के जरिये पेश किया है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि ग्राम धनापुरा तहसील सुमेरपुर के ख0सं0 131/352 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही सोयम का जो भू आवंटन मुझ रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया है उसे खारिज फरमाया जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया। ..पीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 04.06.2015 एवं आदेश दिनांक 08.02.2013 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का विधिक गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है। अपील में आवंटन निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा सुपुर्द किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को आवंटित भूमि के आवंटन को बहाल रखे जाने अथवा निरस्त किये जाने का विधिवत विवेचन किया जाना चाहिये था।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात अपील में वर्णित बिन्दुओं का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर